तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5418/2004/जालौर** **मु0 कंकू बनाम राजपुरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.1.21	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री ओ0एल0दवे, अभिभाषक अपीलांट। श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पो0। **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर दिनांक 07.10.2004 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भू आवंटन सलाहाकर समिति द्वारा अपीलांट/प्रार्थीया को ग्राम रानीवाडा खुर्द के खसरा नं0 1384/2240 रकबा 0.73 है0 भूमि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंट) नियम 1970 के तहत दिनांक 28.12.2001 को आवंटित की गयी। जिसके विरूद्ध रेस्पो0 राजपुरी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंट) नियम 1970 जिला कलेक्टर, जालौर के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपीलांट/अप्रार्थी कंकू देवी को आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा गलत आवंटन किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे। जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 26.03.2002 से प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर रेस्पो0 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07.10.2004 से अपीलांट/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर अपीलांट मं0 कंकू द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5418/2004/जालौर** **मु0 कंकू बनाम राजपुरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.12.2001 को अपीलांट को विधिवत रूप से पूर्ण जाचं पडताल करने के पश्चात किया गया तथा अपीलांट के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 641 दिनांक 17.01.2002 भी स्वीकृत किया जा चुका है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि रेस्पो0 ने जिला कलेक्टर के समक्ष नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंट) नियम 1970 का प्रार्थना पत्र मात्र अपना पुराना कब्जा होने के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि यहां यह लिखना उपयुक्त होगा कि सिवायचक भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा केवल मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी ओक्यूपाइड लैण्ड नहीं होकर अन ओक्यूपाइड ही मानी जायेगी तथा उसको आवंटित की जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 ने आवंटन सलाकार समिति के समक्ष अपने पुराने के कब्जे के आधार पर उक्त आराजी के आवंटन अथवा नियमन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 उक्त आवंटित आदेश से किसी प्रकार भी व्यथित नहीं था। रेस्पो0 की हैसियत केवल मात्र एक अतिक्रमी की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध मानते हुये उसे निरस्त करने व प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी उसके पिता गणेशपुर के समय से उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है और जागीर के समय जागीरदार द्वारा शासन पूजा के बदले उन्हें यह आराजी दी गयी थी तब से आदिनांक तक विवादित आरजी रेस्पो0 के पिता व उसके बाद रेस्पो0 स्वंय का कब्जा चला आ रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.12.2001 को अपीलांट से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर एक ही दिन में आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न कर दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5418/2004/जालौर** **मु0 कंकू बनाम राजपुरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गयी । रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के मौका निरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि रेस्पो0 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही भी होती रही है और प्रथम बार 91 की कार्यवाही की दिनांक से ही विवादित आराजी पर रेस्पो0 का माना जावे तो भी वह विगत 30 वर्ष से अधिक से समय से कब्जा होने के कारण वह इसका खातेदार हो चुका है। आवंटन के विवादित आराजी रेस्पो0 के कब्जा काश्त में थी व आवंटन हेतु उपलब्ध नही थी। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष क विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

प्रकरण के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का आवंटन एक विधवा महिला को उसके आवेदन पर सक्षम आवंटन सलाहकार कमेटी द्वारा अन्य व्यक्तियों की तरहही आवंटन किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटी/अपीलांट महिला किसी भी प्रकार से आवंटन क लिए पात्र नहीं रही हो या उसे अधिक भूमि का आवंटन कर दिया गया हो। यह भी कही प्रमाणित नहीं पाया गया है। रेस्पो0 का विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से यदि पूर्व में कब्जा काश्त माना भी जावे तो भी अतिक्रमी के आधार पर किसी भी प्रकार के विधिपूर्ण अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते है। जिला कलेक्टर जालौर द्वारा भी अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंट) नियम 1970 के तहत जो कार्यवाही निरस्त की गयी वह विधिसम्मत व न्यायसगंत की गयी है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने जो निर्णय पारित किया उसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/5418/2004/जालौर** **मु0 कंकू बनाम राजपुरी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2004 अपास्त किया जाता है एवं जिला कलेक्टर,जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2003 बहाल रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामनिवास जाट) सदस्य	